



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख 1930 (श०)
(सं० पटना 278) पटना, बुधवार, 23 अप्रैल 2008

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

23 अप्रैल 2008

सं०-एल०जी०-1-04/2008/लेज-87—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 18 अप्रैल, 2008 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

[बिहार अधिनियम 17, 2008]

बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम, 2008

प्रस्तावना।—बिहार राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पुनर्गठन एवं पुस्तकालयों के विनियमन, मार्ग-दर्शन नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा उनके सुव्यवस्थित विकास हेतु प्रावधान करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम विस्तार लागूकरण और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं।—जबतक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—

(i) "राज्य पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा राज्य पुस्तकालय के रूप में घोषित पुस्तकालय।

(ii) "राजकीय पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः संपोषित पुस्तकालय।

(iii) "सहायता प्राप्त पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार अथवा पुस्तकालय प्राधिकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः संपोषित पुस्तकालय।

(iv) "गैर-सहायता प्राप्त पुस्तकालय" से अभिप्रेत है वैसे पुस्तकालय जिन्हें सरकार या पुस्तकालय प्राधिकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं है।

(v) "विशिष्ट पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा घोषित विशिष्ट पुस्तकालय।

(vi) "प्रमंडलीय पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य में स्थित प्रमंडल स्तर के पुस्तकालय।

- (vii) "जिला पुस्तकालय" से अभिप्रेत है जिला मुख्यालयों में स्थित पुस्तकालय।
- (viii) "अनुमंडलीय पुस्तकालयों" से अभिप्रेत है अनुमंडल मुख्यालयों में स्थित पुस्तकालय।
- (ix) "प्रखंड पुस्तकालयों" से अभिप्रेत है प्रखंड स्तर पर अवस्थित पुस्तकालय।
- (x) "पंचायत पुस्तकालयों" से अभिप्रेत है पंचायत स्तर पर अवस्थित पुस्तकालय।
- (xi) "ग्रामीण पुस्तकालयों" से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित पुस्तकालय।
- (xii) "सार्वजनिक पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य पुस्तकालय प्राधिकार से मान्यता प्राप्त और इस अधिनियम के प्रायोजनार्थ इस रूप में घोषित कोई पुस्तकालय।
- (xiii) "निजी पुस्तकालय" से अभिप्रेत है सहायता प्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालय से भिन्न कोई पुस्तकालय।
- (xiv) "निदेशक" से अभिप्रेत है धारा-6 के अधीन नियुक्त निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र।
- (xv) "जिला" से अभिप्रेत है कोई राजस्व जिला।
- (xvi) "पुस्तकालय प्राधिकार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार।
- (xvii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य की सरकार।
- (xviii) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है बिहार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना।
- (xix) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित।

पुस्तकालय का कोटिवार विभाजन

3. राज्य में निम्नांकित कोटि के पुस्तकालय होंगे-

- (i) राज्य पुस्तकालय
- (ii) प्रमंडलीय पुस्तकालय
- (iii) जिला पुस्तकालय
- (iv) अनुमंडलीय पुस्तकालय
- (v) विशिष्ट पुस्तकालय
- (vi) प्रखंड पुस्तकालय
- (vii) पंचायत पुस्तकालय
- (viii) ग्रामीण पुस्तकालय
- (ix) निजी पुस्तकालय

अध्याय-2

राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार

4. राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार का गठन।—राज्य सरकार राज्य के सभी कोटि के पुस्तकालयों और पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित विषयों पर सरकार को परामर्श देने के प्रायोजनार्थ बिहार के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार का गठन अथवा पुनर्गठन कर सकेगी, जिसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित अधिकतम 12 सदस्य होंगे।

5. राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर राज्य सरकार द्वारा मनोनयन।—यह मनोनयन राज्य के प्रमुख शिक्षाविदों, पुस्तकालय विज्ञान विशिष्टता वाले व्यक्तियों भाषा, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के पैनल से किया जायगा। पैनल मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा तैयार किया जायगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के आलावे प्राधिकार में मानव संसाधन विकास विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं वित्त विभाग के एक-एक प्रतिनिधि होंगे जो उप-सचिव स्तर से अन्वून नहीं होंगे। राज्य सरकार शेष सदस्यों का मनोनयन करेगी। निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र इस प्राधिकार के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

6. बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार की शक्तियाँ और कार्य।—राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों के संगठन, संचालन, मार्ग-दर्शन एवं विकास के लिए राज्य पुस्तकालय प्राधिकार की निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य होंगे:—

- (क) राज्य पुस्तकालय निधि का नियंत्रण तथा इससे पुस्तकालयों को सहायता उपलब्ध कराना तथा सहायता हेतु शर्त एवं अर्हता का निर्धारण करना।
- (ख) विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालयों की स्थापना एवं स्थापित पुस्तकालयों के संचालन एवं उन्नति के लिए पहल करना तथा इसके लिए आवश्यक शक्तों, परिस्थितियों और मानकों का निर्धारण करना।
- (ग) इस अधिनियम के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए नियम/नियमावली बनाना।

- (घ) पुस्तकालयों के विकासार्थ अल्पकालीन/दीर्घकालीन योजनाओं का सूत्रण एवं समीक्षा करना एवं तत्संबंधी अनुशंसा सरकार के सक्षम रखना।
- (ङ) राज्य में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शिक्षण एवं प्रशिक्षण का प्रसार करना एवं उसके लिए मानक तैयार करना।

अध्याय-3

पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय

पृथक निदेशालय

7. पृथक निदेशालय।—(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राज्य सरकार द्वारा एक पृथक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय का गठन किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा एक निदेशक और एक सहायक निदेशक नियुक्त किया जायेगा। निदेशालय के कार्यों के अतिरिक्त पुस्तकालय अधीक्षक के दायित्वों का निर्वहन भी निदेशक करेगा।

बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में पूर्व से सृजित पुस्तकालय अधीक्षक का पद ही निदेशक, पुस्तकालय निदेशालय के रूप में समपरिवर्तित हो जायेगा। सहायक निदेशक का पद विभाग/ बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के किसी चलायमान पद के समपरिवर्तन से सृजित होगा। वर्तमान पुस्तकालय अधीक्षक, बिहार के कार्यालय में सृजित वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पद ही निदेशालय के कर्मचारियों के पद माने जायेंगे।

(2) पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय, बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार के निदेशानुसार निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा:-

- (क) राज्य के विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों की निधि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करते हुए नियंत्रण करना। इस संबंध में वित्त विभाग/महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा अंकेक्षण की व्यवस्था करना और इसका प्रतिवेदन मानव संसाधन विकास विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (ख) इस अधिनियम के अधीन निर्धारित नियमानुसार राज्य के विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों को राज्य पुस्तकालय निधि से आवश्यकता आधारित अनुदान हेतु सुझाव देना।
- (ग) राज्य में पुस्तकालयों एवं पुस्तकाध्यक्षों की अद्यतन पंजी तैयार करना।
- (घ) राज्य में विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों के कार्यों के सम्बन्ध में विश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक प्रतिवेदन तैयार करना तथा राज्य पुस्तकालय प्राधिकार के माध्यम से सरकार को समर्पित करना।
- (ङ) केन्द्रीय प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स ऐक्ट, 1867 से संबंधित सभी कार्यों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और निष्पादन करना तथा स्टेट कॉपीराइट लाईब्रेरीज का संगठन, रख-रखाव प्रभावकारी प्रबंधन एवं इस प्रावधान के अन्तर्गत प्राप्त पुस्तकों की विब्लियोग्राफी तैयार कर इसके प्रकाशन की व्यवस्था करना।

अध्याय-4

राज्य पुस्तकालय निधि

8. राज्य पुस्तकालय निधि।— राज्य सरकार, राज्य पुस्तकालय निधि के नाम से एक स्वतंत्र कोष गठित करेगी। इस निधि में निम्न प्रकार की राशियाँ जमा होंगी:-

- (क) राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप दी गयी राशि।
- (ख) विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों के विकास हेतु भारत सरकार अथवा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा दिया गया कोई अंशदान अथवा दान।
- (ग) जिला विकास कोष से अनुदान स्वरूप प्राप्त राशि।
- (घ) पुस्तकालय भवन निर्माण, मरम्मत, उपस्कर, आधुनिकीकरण एवं पाठ्य सामग्री आदि के क्रय के लिए सांसद अथवा विधायक कोष से सहायता प्राप्त राशि।
- (ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार द्वारा संग्रहित निधियाँ एवं अन्य रकमें।
- (च) राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार के किसी निवेशित धन से प्राप्त सभी ब्याज एवं लाभ।
- (छ) निजी कम्पनियों, संस्थानों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों से प्राप्त अनुदान एवं दान।

9. पुस्तकालय निधि का उपयोग।— इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरी करने के लिए राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार द्वारा राज्य पुस्तकालय निधि का उपयोग निम्नांकित प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा:-

- (क) राजकीय पुस्तकालयों के अनुरक्षण एवं विकास के लिए सहायता।
- (ख) प्राधिकार एवं इसकी उप-समितियों के सदस्यों को देय मानदेय एवं भत्ता।
- (ग) निदेशक, राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय द्वारा नियमों के अधीन अनुमोदित कोई अन्य आवश्यक व्यय।

10. लेखा एवं लेखा परीक्षा।—(1) राज्य पुस्तकालय निधि का लेखा विहित रीति से संधारित किया जायेगा।
(2) इस लेखा की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष महालेखाकर द्वारा अथवा ऐसी रीति से और ऐसे पदाधिकारी या प्राधिकार द्वारा की जायेगी, जो विहित की जाय तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति विहित रीति से सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

अध्याय-5

प्रकीर्ण

11. अधिनियमों का विधिमाम्यकरण।— प्राधिकार की कोई धारा/उप-धारा किसी प्रारंभिक या पश्चात्कर्ती रिकित की केवल विद्यमानता के कारण अथवा प्राधिकार के गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमाम्य नहीं समझी जायेगी।
12. प्रतिवेदन एवं विवरणी।—प्रत्येक विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों के प्रभारी, राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतिवेदन एवं विवरणी प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी सूचना देगा जैसा कि निदेशालय या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति समस-समय पर अपेक्षा करे।
13. विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों का निरीक्षण।— निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों या उससे संबद्ध किसी संस्था का निरीक्षण अपना यह सामाधान करने के लिए कर सकेगा कि इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाये गये नियमों का पालन सम्यक रूप से किया गया है।
14. नियमावली बनाने की शक्ति।—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी।
(2) विशेष रूप से तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में ऐसे सभी या किन्ही विषयों का उपबंध किया जा सकेगा जो विहित किये जायें अथवा विहित किये जाने के लिए अपेक्षित हों।
(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के यथाशीघ्र बाद विधान मंडल के सदन के समक्ष 14 दिन तक रखे जायेंगे तथा उनमें ऐसा उपंतरण किया जा सकेगा, जैसा कि राज्य विधान मंडल उस सत्र के दौरान करेगा जिसमें उन्हें रखा गया हो।

अध्याय-6

15. प्रेस एवं पुस्तकों का पंजीकरण।—प्रेस एवं पंजीकरण संबंधी अधिनियम, 1867 के प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य क्षेत्र में यह निम्न प्रकार से लागू होगा।
राज्य की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्रकाशित सभी पुस्तकों के एक-एक प्रति प्रकाशकों/लेखकों द्वारा निम्न पुस्तकालय में निशुल्क देनी होगी।
(क) श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी, पटना संबंधित पुस्तकालय द्वारा इस धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त पुस्तकों की अलग पंजी रखी जायेगी जो केवल शोध एवं सन्दर्भ के लिए उपयोगार्थ पुस्तकालय के भीतर उपलब्ध की जायेगी।
16. दण्ड।— इस धारा के अनुसार लेखकों/ प्रकाशकों द्वारा पुस्तक जमा नहीं करने पर लेखक/प्रकाशक दण्ड के भागी होंगे। दण्ड की राशि का निर्धारण प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सरकार के सचिव।

23 अप्रैल 2008

सं०-एल०जी०-1-04/2008-88-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2008 को अनुमत बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सरकार के सचिव।

10. लेखा एवं लेखा परीक्षा।—(1) राज्य पुस्तकालय निधि का लेखा विहित रीति से संधारित किया जायेगा।
(2) इस लेखा की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष महालेखाकर द्वारा अथवा ऐसी रीति से और ऐसे पदाधिकारी या प्राधिकार द्वारा की जायेगी, जो विहित की जाय तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति विहित रीति से सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

अध्याय-5

प्रकीर्ण

11. अधिनियमों का विधिमन्यकरण।— प्राधिकार की कोई धारा/उप-धारा किसी प्रारंभिक या पश्चात्कर्तृ रिकित की केवल विद्यमानता के कारण अथवा प्राधिकार के गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमन्य नहीं समझी जायेगी।
12. प्रतिवेदन एवं विवरणी।—प्रत्येक विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों के प्रभारी, राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतिवेदन एवं विवरणी प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी सूचना देगा जैसा कि निदेशालय या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति समस-समय पर अपेक्षा करे।
13. विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों का निरीक्षण।— निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों या उससे संबद्ध किसी संस्था का निरीक्षण अपना यह सामाधान करने के लिए कर सकेगा कि इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाये गये नियमों का पालन सम्यक रूप से किया गया है।
14. नियमावली बनाने की शक्ति।—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी।
(2) विशेष रूप से तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में ऐसे सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा जो विहित किये जायें अथवा विहित किये जाने के लिए अपेक्षित हों।
(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के यथाशीघ्र बाद विधान मंडल के सदन के समक्ष 14 दिन तक रखे जायेंगे तथा उनमें ऐसा उपंतरण किया जा सकेगा, जैसा कि राज्य विधान मंडल उस सत्र के दौरान करेगा जिसमें उन्हें रखा गया हो।

अध्याय-6

15. प्रेस एवं पुस्तकों का पंजीकरण।—प्रेस एवं पंजीकरण संबंधी अधिनियम, 1867 के प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य क्षेत्र में यह निम्न प्रकार से लागू होगा।
राज्य की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्रकाशित सभी पुस्तकों के एक-एक प्रति प्रकाशकों/लेखकों द्वारा निम्न पुस्तकालय में निशुल्क देनी होगी।
(के) श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सचि्वदानंद सिन्हा लाइब्रेरी, पटना संबंधित पुस्तकालय द्वारा इस धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त पुस्तकों की अलग पंजी रखी जायेगी जो केवल शोध एवं सन्दर्भ के लिए उपयोगार्थ पुस्तकालय के भीतर उपलब्ध की जायेगी।
16. दण्ड।— इस धारा के अनुसार लेखकों/ प्रकाशकों द्वारा पुस्तक जमा नहीं करने पर लेखक/प्रकाशक दण्ड के भागी होंगे। दण्ड की राशि का निर्धारण प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सरकार के सचिव।

23 अप्रैल 2008

सं०-एल०जी०-1-04/2008-88-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2008 को अनुमत बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सरकार के सचिव।

- (v) Special Library
- (vi) Block Library
- (vii) Panchayat Library
- (viii) Village Library
- (ix) Private Library.

Chapter - 2

State Library and Information Centre Authority

4. *Constitution of State Library and Information Centre Authority.*—The State Government may constitute State Library and Information Centre Authority, which may comprise of a maximum of twelve members including Chairman and Vice Chairman for the purpose of advising on the matters related to all categories of Govt. and non-Govt. public library and library services by publishing a notification in official Gazette.

5. *Nomination for the post of Chairman and Vice Chairman, of State Library and information Centre Authority by the State Government.*—This nomination will be done from a panel of eminent scholars, library science experts, persons having special knowledge or practical experience in respect of literature, science, art and social service of the State. The panel will be prepared by Human Resource Development Department. Apart from Chairman and Vice Chairman there will be one representative from Human Resource Development Department, Art, Culture & Youth Department and Finance Department, who will not be less than the rank of Deputy Secretary. State Government will nominate remaining members. Director, Library and Information Centre will be Ex. Officio member secretary of the Authority.

Powers and Functions of Bihar State Library and Information Centre Authority

6. *Powers and Functions of the Bihar State Library and Information Centre Authority.*—The following shall be the powers and functions of the State Library and Information Centre Authority for the organisation, guidance and development of public libraries in the State:—

- (a) To control the State Library Fund and to make available aid to libraries out of this fund and to determine conditions and qualifications of Aid.
- (b) To establish libraries at different level, to initiate for the conduct and development of established libraries and to decide necessary conditions, situations and standards for this.
- (c) To make rules/regulations for achieving objectives of this Act.
- (d) To initiate and analyse the short term/long term plans for the purpose of development of libraries and to make a recommendations relating there to the Government.
- (e) To disseminate teaching and training of State Library and Information science and to prepare standard thereto.

Chapter-3

Library And Information Centre Directorate-Separate Directorate

7. *Separate Directorate.*—(1) For achieving the objectives of this act a separate Directorate of Library and Information Centre shall be constituted and a Director and an Assistant Director shall be appointed by State Government. The Director will perform the responsibility of the Superintendent of Library besides the work of the Directorate.

The already created post of the Superintendent of Library in the cadre of Bihar Education Service shall convert into that of the Director, Directorate of Libraries. The post of Assistant Director shall be created by conversion of any floating post of Department/Bihar

Education Service Cadre. The present post of Class III and Class IV of the office of Superintendent of Library, Bihar will deemed to be post of employees of Directorate.

(2) The Directorate of Library and Information Centre will perform the following functions as per the direction of Bihar State Library and Information Centre Authority.

- (a) To control and ensure proper utilisation of the Public Library fund of the State and to make arrangement of audit by Finance Department/Accountant General office and produce the report of it to Human Resource Development Department.
- (b) To make advice for necessity based grant to the libraries of different level of the State according to specified rules of this Act.
- (c) To prepare updated register of libraries and librarians in the State.
- (d) To prepare analytical and descriptive report relating to the functions of libraries at different level in the State and produce before the government through the State Library Authority.
- (e) To make supervision, direction and execution of all works relating to the Central Press and Registration of Books Act, 1867 and to organisation, maintenance, effective management and to manage its publication after preparing Bibliography of books obtained under this Act.

Chapter-4 **Library Fund**

8. *State Library Fund.*—The State Government shall constitute an independent fund called State Library Fund. The following kinds of amount shall be deposited in this fund:—

- (a) Amount given by the State Government as grants.
- (b) Grants or donations given by the Govt. of India or Raja Ram Mohan Roy Library Foundation for the development of libraries at different level.
- (c) Amount received from District Development Fund as grant.
- (d) Amount received from M. P. or MLA/MLC fund for purchase of reading materials, construction of building, repair, furniture and modernisation of libraries.
- (e) Funds and other amount collected by State Library and Information Centre Authority within the rules framed under this Act.
- (f) All interest and profits arising from any investment of State Library and Information Centre Authority.
- (g) Grant and Donation received from Private Companies, Organisations, Institutions and Persons.

9. *Application of Library Fund.*—The State Library Fund may be utilised by the State Library and Information Centre Authority for carrying out the following purpose of this Act.

- (a) Maintenance and development of Public libraries.
- (b) Allowances and Honorarium admissible to the members of Authority and Sub-Committees.
- (c) Any necessary expenditure approved under the rules by the Director, State Library and Information Centre Directorate.

10. *Accounts and Audit.*—(1) State Library Fund shall be maintained in the prescribed manner.

(2) The account shall be audited annually by the Accountant General in such manner and by such officer or authority as may be prescribed and a copy of the audit report shall be submitted to the State Government in the prescribed manner.

Chapter-5**Miscellaneous**

11. *validation of Act.*—No section or sub-section of this act shall be deemed to be invalid by reason only of the existence of any vacancy initial or subsequent, or any defect, in the constitution of the Authority.

12. *Reports & Returns.*—Incharge of every public library of different levels shall submit such reports and returns and furnish such information to the State Library and Information Centre Directorate or any person authorised by it for this purpose as the directorate or the person authorised by it may require from time to time.

13. *Inspection of Public Libraries at different levels.*—The Director or any person authorised by him may inspect any public library or any institution attached thereto for the purpose of satisfying himself that the provisions of this Act and the rules made thereunder are duly carried out.

14. *Powers to make rules.*—(1) The State Government may make rules to carry out the provisions of the Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such provisions may provide for all or any of the matters which may be prescribed or are required to be prescribed.

(3) All rules made under this section shall as soon as may be, after they are made, laid before the House of the Legislature for 14 days and shall be made subject to such modification as may be made by the State Legislature during the session in which they are so laid.

Chapter-6

15. *Press and Registration of Books.*—It shall be applicable in the State of Bihar as per the proviso of Press and Registration of Books Act, 1867 as follows—

(a) One copy of all books published in one calendar year within the territory of the State should be given free of cost to the following library:—

Smt. Radhika Sinha Institute and Sachchidanand Sinha Library, Patna

Concerned Library shall maintain a separate Register for the received books under this Act, which will be provided only for research and reference.

16. *Penalty.*—Authors/Publishers shall be subject to punishment for not depositing the books under section 15 of this Act. The Authority shall decide the amount of penalty.

Aims and Objects

To provide for establishment and development of libraries in village and towns with public support so as to create interest of common people in reading and libraries to be a medium of attaining and spreading knowledge and enactment of it is the main object of this Bill.

Brishin Patel,
Member In-charge

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 278-571+400